न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 4/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मदन लाल पुत्र रामू हिस्सा 1/4 ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार।
2. मोहनलाल पुत्र रामू हिस्सा 1/4 ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार।
3. शैतान पुत्र रामू हिस्सा 1/4 ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार।
4. सोहनलाल पुत्र रामू हिस्सा 1/4 ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24.6.25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत अप्रार्थी की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हबसपुरा, पटवार हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 538/3, रकबा 1.5174 हैक्टेयर, किस्म बारानी 4 राजस्व रिकार्ड में मदन लाल हिस्सा 1/4 मोहनलाल हिस्सा 1/4 शैतान हिस्सा 1/4 सोहनलाल हिस्सा 1/4 पि० रामू जाति मीना ग्राम हबसपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार मदन लाल हिस्सा 1/4 मोहनलाल हिस्सा 1/4 शैतान हिस्सा 1/4 सोहनलाल हिस्सा 1/4 पि० रामू का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयो ने आवंटन शर्तों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायवक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावें। ग्राम हबसपुरा, पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा मु.सांभरलेक जिला जयपुर में स्थित उपरोक्त वर्णित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने से 14(4) की कार्यवाही हेतु वाद पेश है।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत उपस्थित हुये।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम हबसपुरा, पटवार हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 538/3, रकबा 1.5174 हैक्टेयर, किस्म बारानी 4 राजस्व रिकार्ड में मदन लाल हिस्सा 1/4 मोहनलाल हिस्सा 1/4 शैतान हिस्सा 1/4 सोहनलाल हिस्सा 1/4 पि० रामू जाति मीना ग्राम हबसपुरा,

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार मदन लाल हिस्सा 1/4 मोहनलाल हिस्सा 1/4 शैतान हिस्सा 1/4 सोहनलाल हिस्सा 1/4 पि० रामू का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयो ने आवंटन शर्तों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायवक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावें। ग्राम हबसपुरा, पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा मु.सांभरलेक जिला जयपुर अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। उक्त भूमि जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में खसरा नम्बर 538/3, रकबा 1.5174 हैक्टेयर, किस्म बारानी 4 राजस्व रिकार्ड में मदन लाल हिस्सा 1/4 मोहनलाल हिस्सा 1/4 शैतान हिस्सा 1/4 सोहनलाल हिस्सा 1/4 पि० रामू जाति मीना ग्राम हबसपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 के अनुसार उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। यदि उक्त भूमि आवंटी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है तथा प्रस्तुत रेफरेन्स में आवंटन की प्रमाणित प्रति व गिरदावरी की प्रतिया प्रस्तुत नही की है। ना ही यह वर्णित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आंवटित भूमि पर अन्य द्वारा किस प्रकार काश्त की जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही की गई या नहीं। अतः प्रार्थी तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त विधि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर चाराजोही किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जॉच करें। तत्पश्चात् नियमानुसार विधि की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24.6.25 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate
JAIPUR